न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 103/2012

73/21

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. केवल चन्द पुत्र मोहरी राम जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 29-सी ब्लॉक, श्रीकरणपुर। 2. नीरज छाबडा पुत्र केवल चन्द जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 29-सी ब्लॉक, श्रीकरणपुर। 3. अनुज कुमार पुत्र केवल चन्द जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 29-सी ब्लॉक, श्रीकरणपुर। 4. सुरेश रानी उर्फ सुदेश रानी पुत्री मोहरी राम जाति अरोडा निवासी मकान नम्बर 29-सी ब्लॉक, श्रीकरणपुर।	1. हरबन्स सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुलजार सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरतेज सिंह पुत्र हरबन्स सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। 4. अमनदीप सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 20 तहसील श्रीकरणपुर। 5. दर्शन लाल पुत्र रामलाल जाति अरोडा निवासी राम स्वीट हाउस गान्धी पार्क के पास, श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 6. विरेन्द्र कुमार उर्फ मक्कू दलाल पुत्र हीरालाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 20 श्रीकरणपुर। 7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए 1955, 136 एलआरएक्ट

तारीख रजू:- 03.09.2012

उपस्थितः **1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, रामदास सोंलकी अधिवक्ता वादीगण**

2.श्री मंकू शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

--निर्णय-- **दिनांकः 08.12.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2056 के खाता संख्या 60 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 5 के 8 बीघा 16 बिस्वा एंव मुरब्बा नम्बर 7 के 10 बीघा एंव मुरब्बा नम्बर 10 के 12 बीघा 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 35 के 24 बीघा 10 बिस्वा कुल 56 बीघा 5 बिस्वा रकबा में वादी संख्या 1 एंव 4 के माता एंव पिता एंव वादी संख्या 2 व 3 के दादा एंव दादी श्री मोहरी राम पुत्र बूलचन्द 23-43/54 हिस्सा एंव विद्या बाई पत्नी मोहरी राम के नाम 28-5/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज था। मोहरी राम एंव विद्याबाई के फौत होने के बाद उपर्युक्त आराजी विरास्तन में वादी केवल चन्द एंव कृष्णा देवी पुत्री मोहरी राम को जरिए विरास्तन इन्तकाल नम्बर 173 दिनांक 10.12.1998 को प्राप्त हुई है। जिसका अमलदरामद जमाबन्दी सम्वत 2055 में दर्ज हो गया है। विरास्तन इन्तकाल के बाद उपर्युक्त आराजी में तमाम हिस्सेदारों का आपस में विधिवत बंटवारा हो गया था और बंटवारा के अनुसार केवल चन्द वादी एंव कृष्णा देवी पुत्री मोहरी राम को बंटवारा के इन्तकाल संख्या 219 के मुताबिक चक 1 एफ ए का मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 के 4 बिस्वा, किला नम्बर 4-7 सालम एंव किला नम्बर 8 के 8-19/54 हिस्सा आराजी में से वादी नम्बर 1 को 44-55/63 एंव कृष्णा देवी को 7-181/378 हिस्सा प्राप्त हुई है। विधिवत बंटवारा के पूर्व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

 73/21

श्री वादी नम्बर 1 केवल चन्द एंव कृष्णा देवी का कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 के 4 बिस्वा, किला नम्बर 4, 7 सालम एंव किला नम्बर 8 के 8-19/54 बिस्वा आराजी पर लगातार चला आ रहा था और मोहरी राम व विद्या बाई की मृत्यू से पूर्व मोहरी राम व विद्या बाई का कब्जा काश्त उपर्युक्त आराजी पर मृत्यूपर्यन्त चला आ रहा था और उनकी मृत्यू के बाद उपर्युक्त आराजी पर वादी नम्बर 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विधिवत बंटवारा के बाद कृष्णा देवी ने अपना हिस्सा अपनी सगी बहन वादिया नम्बर 4 सुरेश रानी के पक्ष में जरिए दस्तबरदारी वादिया के पक्ष में करवा दी थी। जिसका इन्तकाल 222 वादिया नम्बर 4 के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका हैं। वादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा 44-463/756 में से 4 हिस्सा आराजी अपने दोनो लडकों वादी नम्बर 2 व 3 के पक्ष में उनके नाम बहिस्सा बराबर जरिए इन्तकाल 223 करवा दी थी। जिसका अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका हैं। वर्तमान में कम्पयूटर की जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार इन्द्राज होना चाहिए नीरज छाबडा, अनुज कुमार पिसरान केवल चन्द बहिस्सा बराबर 0.050 हैक्टर, केवल चन्द पुत्र मोहरी राम 0.564 हैक्टर एंव सुरेश रानी पुत्री मोहरी राम 0.048 हैक्टर जाति अरोडा साकिन करणपुर खातेदार। लेकिन कम्पयूटर द्वारा जमाबन्दी बनाते समय सहवन से मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 के 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 4 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 के 0.106 हैक्टर रकबा में नीरज छाबडा अनुज कुमार पिसरान केवल चन्द ब.हि.ब. केवल चन्द पुत्र मोहरी राम 0.050 हैक्टर, सुरेश रानी 0.564 हैक्टर, मोहरी राम 0.048 हैक्टर दर्ज हो गया। जो दुरूस्त किए जाने के काबिल है। वादीगण जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उपर्युक्त आराजी पर वादीगण व वादीगण के परिवार का कब्जा 1983 से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है। वादी केवल चन्द ने उपर्युक्त आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीकरणपुर से ऋण भी उठा रखा है। दिनांक 01.09.2012 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 अपने हाथों में हथियार लाठिया गण्डासिया एंव कुछ असला वगैरा लेकर वादीगण के कब्जा काश्त की आराजी पर मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 पर कब्जा करने के लिए आए और वादीगण की आराजी पर ईंट गिरानी शुरू कर दी, वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोका तो वादीगण की प्रतिवादीगण से आपस में हाथापाई हो गई। लेकिन वादीगण ने अपने कब्जा काश्त की आराजी मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 0.050 हैक्टर प्रतिवादी को कब्जा काश्त करने नहीं दिया है, लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण को धमकिया दे रहे है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त की आराजी पर जोर जबरदस्ती कब्जा करेगे। यदि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी आराजी में कब्जा करने से कामयाब हो गए तो वादीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। समस्त आराजी राजस्थान सरकार में निहित है इसलिए राजस्थान सरकार को जरिए लैण्ड होल्डर बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/1 के 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 4 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 के 0.106 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर रकबा पर स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण उक्त रकबे में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से किसी प्रकार का निर्माण करने से बाज व ममनू रहे व अन्य व्यक्तियों से दखलअंदाजी करवाने व निर्माण आदि करवाने से बाज व ममनू रहे। तथा चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/1 के 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 4 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 के 0.106 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर रकबा में वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम 0.050 हैक्टर बहिस्सा बराबर दुरुस्त करने के एंव वादी संख्या 1 के नाम 0.564 हैक्टर रकबा दुरूस्त और वादिया संख्या 4 के नाम 0.48 हैक्टर रकबा दुरूस्त करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मंकू शर्मा उपस्थित आए व जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा के अनुसार वादीगण के पास मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 के 4 बिस्वा व किला नम्बर 4, 7 सालम-सालम व किला नम्बर 8 के 8-19/54 हिस्सा का कब्जा कभी भी पूरा नही था क्योंकि कुछ भूमि मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8 में से श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर रोड में अवाप्त की गई है। परन्तु रिकॉर्ड में गलती से दर्ज है। इसलिए वादीगण का कब्जा नहीं है। सडक गुजर जाने के बाद भूमि कभी वादीगण के कब्जा में नहीं रही। जितनी भूमि वादीगण की जमाबन्दी रिकॉर्ड में दर्ज है। उसका कुछ हिस्सा सडक में चला गया व कुछ हिस्सा वादीगण के पास है। उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं है। क्योंकि वादीगण ने अपनी भूमि का समय-समय पर बेचान किया हुआ है। उक्त किलाजात का बंटवारा भी किया हुआ है व उसी बंटवारानुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि लेखराज से जरिए बैयनामा खरीद की हुई है। आज भी उक्त भूमि बैयनामा की तारीख से प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। मौका पर प्रतिवादीगण के द्वारा चारदीवारी का निर्माण करवा रखा है। अतिरिक्त कथन के अनुसार विवादित आराजी के मुरब्बा नम्बर 3 का 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 के 0.0126 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका पर चार दीवारी निकाली हुई है व कब्जा प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण की उक्त भूमि खरीदशुदा है। प्रतिवादीगण बतौर खरीददार मालिक खातेदार है। मौका पर चारदीवारी व एक कमरे का निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा किया हुआ है। जिसका प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग कर रहे है। व बाकि भूमि पर प्रतिवादीगण की काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। वादीगण स्वय ने अपनी भूमि बेचान की हुई है। अतः जवाब दावा प्रतिवादीगण पेश करके निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। नकल जवाब दावा वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। जवाब स्टेट बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या वादीगण विवादित भूमिं में दखलअंदाजी न करने की डिक्री पाने के अधिकारी है? -जिम्मे वादीगण-

2. आया कि क्या वादीगण विवादित भूमि में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है ? -जिम्मे वादीगण-

3. आया कि क्या प्रतिवादीगण क्रय शुदा एंव कब्जा शुदा भूमि अपने नाम करवाने एंव कब्जा रखने के अधिकारी है? -जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6-

4. अनुतोष।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में वादी संख्या 2 नीरज छाबडा द्वारा स्वय का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी में जिरह हेतु गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा शपथ पत्र पेश किया व जिरह वकील वादीगण द्वारा की गई। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त हुई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत रकबा मुताबिक वर्तमान रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 1 एफ ए सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 55/43 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/1 में 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 4 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 में 0.106 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर रकबा वादीगण अनुज कुमार 25/662 हिस्सा केवलचन्द 24/331 हिस्सा, नीरज छाबडा 25/662 हिस्सा, सुरेशरानी 282/331 हिस्सा खातेदारी हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण का रकबा इसी जमाबन्दी के खाता संख्या 132/110 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/2 के 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 5 व 6 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/2 में 0.033 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

किला नम्बर 13 में 0.164 हैक्टर, किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 18 में 0.190 हैक्टर में ताराचन्द 23/647 हिस्सा, दर्शन कुमार 447/2588 हिस्सा, भजनप्रकाश 6/647 हिस्सा, विशाल 253/2588 हिस्सा, हरकंस सिंह 443/1294 हिस्सा खातेदारी की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा अपने रकबे चक 1 एफ ए के उपरोक्त खाता संख्या 55/43 के रकबा 0.662 हैक्टर पर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण चाही गई है। पक्षकार के मध्य विवादित मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 एवं 8 की रिकॉर्ड एंव मौका स्थिति इस प्रकार है कि वादीगण के नाम किला नम्बर 3/1 में 0.050 हैक्टर रकबा रिकॉर्ड दर्ज है। जब कि मौके पर रकबा 0.050 हैक्टर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर सडक में कुछ रकबा एक्वायर हुआ था। जिसका रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ। इसके अलावा वादी केवलचन्द द्वारा बैयनामा क्रमांक 12 व 13 दिनांक 06.01.2001 द्वारा क्रमशः 100 वर्गफीट एंव 100 वर्गफीट रकबा बेचान भी किया गया था। जिनका भी रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ। प्रतिवादीगण के नाम किला नम्बर 3/2 में 0.063 हैक्टर रकबा रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि मौके पर केवल 28 इन्टू 92 वर्गफीट ही कब्जे में है। क्योंकि सडक हेतु एक्वायर हुए रकबे का रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। इसी प्रकार किला नम्बर 8 में से भी रकबा सडक हेतु एक्वायर होने से रिकॉर्ड में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर रकबा नहीं है। वादीगण द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 12 ख में हिस्सा दुरुस्ती हेतु निवेदन किया है। वादीगण को उक्त रकबा जमाबन्दी सम्वत 2055 ता 58 के खाता संख्या 60/60 में दर्ज उक्त नामान्तरण संख्या 219 बंटवारा एंव नामान्तरण संख्या 222 दस्तबरदारी, 223 अनुबन्ध पत्र के जरिये प्राप्त हुआ है। उक्त नामान्तरण संख्या 223 के पश्चात आज दिनांक तक वादीगण के हिस्से में परिवर्तन का कोई भी रिकॉर्ड यथा (नामान्तरण, शुद्धि आदि) उपलब्ध नहीं होने से वादीगण का हिस्सा अनुज कुमार, नीरज छाबडा क्रमशः 25/662 हिस्सा, 25/662 हिस्सा, केवलचन्द 282/331 हिस्सा, सुरेश रानी 24/331 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन केवलचन्द एंव सुरेशरानी का हिस्सा आपस में बदल गया।

हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादीगण के नाम चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 55/43 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/1 में 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 4 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 में 0.106 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के द्वारा उक्त रकबा पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत व वादी संख्या 1 के नाम 0.564 हैक्टर, वादीगण संख्या 2 व 3 के नाम 0.050 हैक्टर ब.हि.ब., वादी संख्या 4 के नाम 0.048 हैक्टर रकबा दुरुस्त करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वादीगण के नाम मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/1 में 0.050 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि मौके पर रकबा 0.050 हैक्टर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर सडक में कुछ रकबा एक्वायर हुआ था। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा वादी केवलचन्द द्वारा बैयनामा क्रमांक 12 एंव 13 दिनांक 06.01.2001 द्वारा क्रमशः 100 वर्गफीट एंव 100 वर्गफीट रकबा बेचान भी किया गया था। जिसका भी राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ। इसी अनुसार मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 8 में भी रकबा श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर सडक में एक्वायर होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर रकबा नहीं है। वादीगण को उक्त रकबा जमाबन्दी सम्वत 2055 ता 58 के खाता संख्या 60/60 में दर्ज उक्त नामान्तरण संख्या 219 बंटवारा एंव नामान्तरण संख्या 222 दस्तबरदारी, 223 अनुबन्ध पत्र के जरिये प्राप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

73/21

उक्त नामान्तरण संख्या 223 के पश्चात आज दिनांक तक वादीगण के हिस्से में परिवर्तन का कोई भी रिकॉर्ड यथा (नामान्तरण, शुद्धि आदि) उपलब्ध नहीं होने से वादीगण का हिस्सा अनुज कुमार, नीरज छाबडा क्रमशः 25/662 हिस्सा, 25/662 हिस्सा, केवलचन्द 282/331 हिस्सा, सुरेश रानी 24/331 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन केवलचन्द एंव सुरेशरानी का हिस्सा आपस में बदल गया। मुताबिक तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3 व 8 में से रकबा श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर सडक में अवाप्त हो गया। परन्तु उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ है। अतः किला नम्बर 3 व 8 में रकबा श्रीकरणपुर से गजसिंहपुर सडक में अवाप्त होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर रकबा नहीं है। वादीगण अपनी साक्ष्य में वादपत्र के समर्थन में तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसलिए चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 55/43 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3/1 में 0.050 हैक्टर, किला नम्बर 4 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8/1 में 0.106 हैक्टर कुल 0.662 हैक्टर भूमि को दुरूस्त किया जाना व उक्त रकबे के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है, एंव मूलवाद के साथ संलग्न अनवान केवल चन्द आदि बनाम हरबन्स सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 85/2012 में निर्णय दिनांक 06.06.2013 को रिसीवर किए गए, चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3, 4, 8 को रिसीवर मुक्त किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

– ८ २५११०७

73/71

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

केवल चन्द आदि बनाम हरबन्स सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए** मुकदमा नं. **103/2012**

निर्णय दिनांक :- 08.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, रामदास सोंलकी, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, मंकू शर्मा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है, एवं मूलवाद के साथ संलग्न अनवान केवल चन्द आदि बनाम हरबन्स सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए. प्रकरण संख्या 85/2012 में निर्णय दिनांक 06.06.2013 को रिसीवर किए गए, चक 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 3, 4, 8 को रिसीवर मुक्त किया जाता है।

आज दिनांक 08.12.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन (उपखण्ड) अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः ~~राजस्व~~/ 2021/517

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर